न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/35

1. मथुरालाल पुत्र माधो जाति बलाई निवासी रोटेंदा रोड कोटा जं. कोटा राज.

—अपीलांटगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र माधो जाति बलाई निवासी गली नं. 6, रोटेंदा रोड कोटा जं. कोटा राज
2. शांती बाई पुत्री माधो पत्नी रामपाल जाति बलाई निवासी ग्राम रोटेंदा रोड कोटा जं.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपंस्थित वक्त बहस :– 1. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री रविन्द्र विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ड संख्या 1, 2 की आरे से।

निर्णय दिनांकः 09.09.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 74/2019 (2021/17) में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 349 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.94 हैक्टर कुल 2 किता की 2.31 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में जयसिंह आत्मज चतर सिंह जाति चारण निवासी ग्राम थौनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के नाम दर्ज थी जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से जयसिंह के पुत्र उदयसिंह द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद दिनांक 29.09.87 को खारिज हो जाने के बाद न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की उक्त अपील दिनांक 01.12.92 को स्वीकार कर उक्त आराजी का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्य मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील दिनांक 22.04.99 को स्वीकार कर पुनः निर्णय करने हेतु रिमान्ड की गई तत्पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.04 को प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। प्रार्थी ही उपरोक्त वर्णित आराजी पर हमेशा से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु सहवन से वर्णित आराजी में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी व शान्ति बाई पुत्री माधो का नाम भी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है अप्रार्थी व शान्ति बाई का वर्णित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी व शान्ति बाई का नाम सहवन से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये

जाने का अनुचित फायदा उठाकर शान्ति बाई के साथ षडयंत्र रचकर अप्रार्थी ने दिनांक 24.10.19 को अपने पक्ष में हक त्याग पत्र का पंजीयन करवा लिया जो प्रार्थी के हक व अधिकारो के विपरीत होने से अवेध एवं प्रभाव शून्य है जिससे अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में हक त्याग किये जाने का कोई प्रावधान नही है। हक त्याग से किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बिना कब्जे व अधिकार के हक त्याग पत्र का पंजीयन करने से प्रभाव शून्य है। उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर अप्रार्थी स्वयं का नाम शान्ति बाई के स्थान पर दर्ज करवाने पर आमादा है इस कारण राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 19 के अनुसार खातेदार घोषित होने की पात्रता रखता है तथा अप्रार्थी व शान्ति बाई का नाम राजस्व रिकोर्ड में से हटाया जाना आवश्यक है, क्योकि अप्रार्थी व शान्ति बाई द्वारा कभी भी न तो काश्त की गई है और न ही कोई अधिकार ही वर्णित आराजी में है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से नाम हटाये जाने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थी के इंकार कर देने पर प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। बेलेन्स आफ कनवीनियन्स एवं प्राईमाफेसाई केस प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को उक्त आराजी से नाम के आधार बेदखल कर खुर्द बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के भूखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझ कर खर्चे से जेरबार होना पडेगा जिसकी पूर्ति प्रार्थी भविष्य में कभी भी नहीं कर सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी में से प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा खुर्द बुर्द नही करे राजस्व रिकोर्ड एवं मोके की यथा स्थिति बनाये नखे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियो से ही करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2025 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के

सर्वथा विपरीत है। निर्णय जैर अपील न्याय, विधि एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण वाद वादी द्वारा कन्टेस्ट किया गया तथा वादीनी का वाद घोषणात्मक डिकी जो 30.4.2004 को जिसमे वादी को खातेदार घोषित किया जाना था, कभी भी शांती बाई के पक्ष में उक्त वाद जिसमे उन्हे खातेदार घोषित किया गया था और जयसिंह का नाम हटाया गया था, शांती बाई पक्षकार नही रही न शांतीबाई द्वारा वाद दायर किया न ही कभी खातेदार रही है, शांती बाई उक्त आराजी की जिसकी रिलीज डीड लिखी है, उसकी मालिक ही नही थी न उसे रिलीज डीड लिखने का अधिकार था शांती बाई का नाम राजस्व रेकार्ड मे मृतक छोटी बाई बेवा माघोलाल की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से उसके नाम अंकित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार पर उसे सहखातेदार नही माना जा सकता ओर इस कारण वह सहखातेदार न होने से किसी प्रकार की रिलीज डीड प्रतिवादी/रेस्पो० कम 1 के पक्ष मे आलेखित कराने की अधिकारी नही थी। छोटी बाई के देहान्त के बाद भी छोटी बाई के हिस्से की एक मात्र खातेदार शांती बाई नही हो सकती अपीलांट अनुसूचित जाति से आते है, जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है, ओर छोटी बाई की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड मे शांती बाई का अकेला नाम अंकित करना इस कारण भी त्रुटिपूर्ण था, क्योकि छोटी बाई के मथुरालाल वादी, मोहनलाल प्रतिवादी कम 1 ही उत्तराधिकारी थे उस दृष्टि से भी शांती बाई को केवल छोटी बाई के हिस्से पर 1/3 हिस्सा ही बनता है, सम्पूर्ण हिस्से मे राजस्व रेकार्ड में उसका नाम अंकित किया जाना त्रुटिपूर्ण व गैरकानूनी है, ओर जिसके आधार पर जो रिलीज डीड आलेखित की है वह गैरकानूनी है, उसे मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। सम्पूर्ण आराजीयात पर अपीलांट काबिज है, काश्त करता चला आ रहा है, इसके समर्थन मे अपीलांट ने मौके के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये आराजीयात पर ट्यूबवेल लगी हुई है। कब्जा पूर्णतया वादी अपीलांट का प्रमाणित था जिसे नही मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अपीलांट ने यह प्रमाणित कर दिया था कि प्रथम दृष्टया केस अपीलांट का है. सुविधा संतुलन उसके पक्ष मे है, तथा उसे बेदखल कर दिया गया तो उसे अपरिमित क्षति होगी को प्रमाणित कर दिये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अधुरे कानून के आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्टगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण खसरा नं 349 की रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नं 623 की 0.94 हैक्टेयर कुल 2 किता की रकबा 2.31 हे० वाकै ग्राम रोटेंदा ताहसील लाडपुरा कोटा की आराजी से अपीलांट को बेदखल नही करे, तथा आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ऐसा कृत्य रेस्पो.ना तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से ही करावे, अन्य न्यायोचित सहायता जो अपीलांट के पक्ष में हो अता फरमायी जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूमि जय सिंह पुत्र चतर सिंह के नाम हो होना प्रमाणित होता हो। जिस आदेश दिनांक 29.07.1987 का हवाला दिया गया है, उक्त आदेश की प्रति भी अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट द्वारा कथित अपील में पारित निर्णय दिनांक 01.12.1992 की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पपत्र में निर्णय दिनांक 22.4.1999 एवं 30.04.2004 का भी वर्णन किया गया है, और जिसके आधार पर प्रार्थी अपीलांट अपने

आपको खातेदार घोषित करवाना चाहता है परन्तु इन निर्णयो की प्रतियां न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है, और ना ही अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को उपलब्ध करवाई गई है। प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 विवादित भूमि पर सहखातेदार है, जिनका बराबर का हिस्सा है व तीनो का नाम जमाबंदी में अंकित है तथा तीनो भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। शांति बाई द्वारा पूर्ण होशो हवास मे दिनांक 24.10.19 को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कराया है, इसलिऐ उसके उपरांत प्रार्थी अपीलांट शांति बाई का द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का नाम जमाबंदी मे दर्ज है और तीनो द्वारा अपने–अपने भाग पर काश्त की जा रही है। प्रार्थी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। अतः रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। क्योकि मुताबिक कानून हर सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर कब्जा होता है, इसलिए उनके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.2025 में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 349 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.31 हैक्टेयर आराजी के सम्बंध में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2004 के द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता छोटी बाई के खाते दर्ज हुई है परन्तु वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण रूप से छोटी बाई के खाते दर्ज हो गई। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शांति बाई द्वारा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग दिनांक 24.10.2019 द्वारा हस्तांतरित की गई है तथा उक्त हक त्याग की गई आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्त है। अपीलांट का कथन है कि शान्ति बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित हुआ है अतः शान्ति बाई द्वारा किया गया हक त्याग अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा उक्त हक त्याग से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि में प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे मत में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में शांति बाई के नाम की प्रविष्टि तथा प्रश्नगत पंजीकृत हकत्याग दिनांक 24.1.2019 की वैधता का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के अंतिम निस्तारण का विषय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 349 व 623

किता 2 रकबा 2.31 हैक्टेयर आराजी मथुरालाल, मोहनलाल पुत्रान माधो, शान्तिबाई पुत्री माधो कोम बलाई सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट ने हस्तगत प्रकरण में कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कुआं, बोरिंग मकान आदि बना होने तथा काबिज काश्त होने का कथन किया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान रूप से कब्जा काश्त माना जाता है, अतः ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु समान रूप से निहित होता है। अतः वादग्रस्त भूमि में अपीलांट के निहित हक हिस्से तक प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में निहित है। वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत होना शेष है। अतः वादग्रस्त आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना आवश्यक है ताकि उभयपक्षकारान के मध्य वाद बहुलता नहीं बढ़े। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक हिस्से तक अपीलांट के पक्ष में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.01.2025 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि तक रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी में निहित अपीलांट के हक हिस्से तक रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 74/2019 (2021/17) में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2025 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा संख्या 349 रकबा 1.37 हैक्टेयर, खसरा संख्या 623 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.31 हैक्टेयर आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें। रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को दीगर को रहन, बेचान, दान अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें तथा मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा